

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची**

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग**

**दिनांक 22.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
535	ता.प्र.सं.16 (क्र.1133) दि.22.07.2015 (श्री नारायण सिंह पंवार)	मा.मुख्यमंत्री जी की घोषणानुसार कुशलपुरा बांध से ग्राम खजूरिया एवं मोर्याखेड़ी में सिंचाई एवं पेयजल योजना का क्रियान्वयन किया जाना ।	आवश्यक जल मात्रा के आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
536	परि.अता.प्र.सं.04 (क्र.44) दि.22.07.2015 (श्री रामलाल रौतेल)	माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्र दि. 21.11.14 (सी.एम.मानिट-बी) के अनुपालन में म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के द्वारा प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सम्बोधित पत्र दिनांक 05.12.2014 के परिपालन में जिला अनूपपुर के ग्रामों में नालों का गुणवत्ताविहीन किये गये कार्यों की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही किया जाना ।	जांच किये जाने के पश्चात् अनुशंसा अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।		
537	परि.अता.प्र.सं.17 (क्र.208) दि.22.07.2015 (श्री संजय पाठक)	ता.प्र.क्र. 924 दिनांक 23.02.2015 के संदर्भ में कटनी जिले में बरमी खाद के भण्डारण में की गई अनियमितता की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही की जाना ।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
538	परि.अता.प्र.सं.22 (क्र.358) दि.22.07.2015 (श्री निशंक कुमार जैन)	विदिशा जिले के विभिन्न ग्रामों में पेयजल व्यवस्था की जाना ।	उन ग्रामों में आवंटन की उपलब्धता के अनुसार पेयजल स्रोतों का निर्माण करवाया जायेगा ।		
539	परि.अता.प्र.सं.33 (क्र.629) दि.22.07.2015 (श्री राजेश सोनकर)	इंदौर जिले में सांवेर विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना से पेयजल योजना की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाना ।	योजना निजी जन-भागीदारी आधारित पद्धति पर प्रस्तावित है एवं योजना स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
540	परि.अता.प्र.सं.50 (क्र.864) दि.22.07.2015 (डॉ.गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले की लहार विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मटियावली बुजुर्ग में नलकूप खनन कराया जाना ।	प्रस्तावित 01 नलकूप इस वित्तीय वर्ष में खनन करवाया जावेगा ।		
541	अता.प्र.सं.18 (क्र.310) दि.22.07.2015 (श्री जतन उईके)	प्रदेश के पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना ।	आंशिक पूर्ण श्रेणी के ग्रामों में विभागीय कार्य योजना के अनुसार पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जा रही है ।		
542	अता.प्र.सं.37 (क्र.703) दि.22.07.2015 (श्री गिरीश भंडारी)	म.प्र. के नियुक्त संविदा हैण्डपंप मैकेनिकों को मानदेय का भुगतान किया जाना ।	जी हां । मांगों का परीक्षण पर कार्यवाही की जा रही है ।		
543	अता.प्र.सं.55 (क्र.960) दि.22.07.2015 (श्री सुखेन्द्र सिंह बना)	रीवा जिले में स्वीकृत नवीन हैण्डपंपों का उत्खनन कार्य पूर्ण किया जाना ।	अन्य डिपॉजिट कार्य में स्वीकृत हैण्डपंपों का उत्खनन पूर्ण कर लिया जायेगा ।		
544	अता.प्र.सं.78 (क्र.1153) दि.22.07.2015 (श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल)	बैतूल विकासखण्ड की स्वीकृत पेयजल योजना का कार्य प्रारंभ कराया जाना ।	प्रस्तावित योजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
545	अता.प्र.सं.88 (क्र.1182) दि.22.07.2015 (श्री नारायण त्रिपाठी)	सतना जिले की मैहर वि.स.क्षेत्र में नल-जल योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु राशि जमा किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाना ।	जनभागीदारी की राशि जमा होने पर स्वीकृत की कार्यवाही की जायेगी ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची**

**गृह(पुलिस) विभाग**

**दिनांक 22.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
546	ता.प्र.सं.17 (क्र.1155) दि.22.07.2015 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	उज्जैन जिले के बीज कंपनी महिदपुर के विरुद्ध प्रकरण के दोषियों को गिरफ्तार कर कार्यवाही की जाना ।	(1) बीज कंपनी महिदपुर के विरुद्ध दर्ज होकर वर्तमान में विवेचनाधीन है । (2) आरोपियों की गिरफ्तारी, साक्ष्य एवं विवेचना के आवश्यकतानुसार की जायेगी ।		
547	परि.अता.प्र.सं.02 (क्र.17) दि.22.07.2015 (श्री विश्वास सारंग)	प्रदेश में कैश वालेट सुविधा देने वाली कंपनियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच की जाना ।	शेष शिकायतों में जांच प्रगति पर है ।		
548	परि.अता.प्र.सं.11 (क्र.159) दि.22.07.2015 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	सतना जिले के थाना नागौद में हुई हत्याओं के दोषियों को गिरफ्तार किया जाना ।	(1) भादवि अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध होकर विवेचना में है । (2) तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु विधि अनुरूप प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं ।		
549	परि.अता.प्र.सं.26 (क्र.452) दि.22.07.2015 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	सतना जिले के थाना नागौद अंतर्गत गिंजारा निवासी बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार के फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना ।	फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं ।		
550	परि.अता.प्र.सं.30 (क्र.514) दि.22.07.2015 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले के सुरखी के राहतगढ़ नगर में पुलिस की लापरवाही से उपद्रवियों द्वारा दंगे करने की जांच एवं दोषियों पर कार्यवाही ।	अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्राथमिक जांच कराई जा रही है ।		
551	परि.अता.प्र.सं.46 (क्र.822) दि.22.07.2015 (श्री सोहनलाल वाल्मीक)	छिन्दवाड़ा जिले में ट्रकों की चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार कर, उनके विरुद्ध कार्यवाही सहित वाहनों की बरामदगी की जाना ।	(1) 03 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है । (2) प्रकरण में कार्यवाही बंद नहीं की गई है, बल्कि विवेचना जारी है ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
552	परि.अता.प्र.सं.53 (क्र.886) दि.22.07.2015 (श्री सुन्दर लाल तिवारी)	एस.टी.एफ. द्वारा वर्ष 2004 से 2014 तक व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के दर्ज अपराधिक प्रकरण पर कार्यवाही किया जाना ।	अपराध पंजीबद्ध किया गया है । प्रकरणों की विवेचना जारी है ।		
553	परि.अता.प्र.सं.68 (क्र.1129) दि.22.07.2015 (श्री मधु भगत)	एस.टी.एफ. में प्राप्त विभिन्न शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही की जाना ।	(1) हां । शिकायत की जांच की जा रही है । जिला एसआईटी ग्वालियर द्वारा विभिन्न शिकायतों में जांच की जा रही है । (2) विभिन्न शिकायतों में जांच प्रक्रियाधीन है । प्रकरण में विवेचना जारी है ।		
554	परि.अता.प्र.सं.85 (क्र.1277) दि.22.07.2015 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	बालाघाट के किरनापुर में फटाका फैक्ट्री वालों द्वारा नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री सप्लाई किये जाने पर उनके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जाना ।	फटाका फैक्ट्रीवालों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है । नक्सलियों को सप्लाई संबंधी कोई साक्ष्य आने पर कार्यवाही की जा सकेगी ।		
555	अता.प्र.सं.43 (क्र.790) दि.22.07.2015 (श्री रामनिवास रावत)	पूर्व विधायक श्री पारस सकलेचा द्वारा एस.टी.एफ को दिये गये आवेदन पर उल्लेखित तथ्यों की जांच कर कार्यवाही की जाना ।	(1) आवेदन की जांच सहायक पुलिस महानिरीक्षक, एस.टी.एफ. श्री राजेश सिंह चंदेल एवं श्री आशीष खरे द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है । जांच में आवेदन के तथ्यों पर वांछनीय जानकारी प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग व संचालक, चिकित्सा शिक्षा से मांगी गई है । (2) प्रश्नांश क में उल्लेखित आवेदन के बिन्दुओं पर तथ्यों का संकलन प्रक्रियाधीन है ।		
556	अता.प्र.सं.45 (क्र.828) दि.22.07.2015 (श्री सोहनलाल वाल्मीक)	छिन्दवाड़ा परसिया वि.स.क्षेत्र के बडकुही में हत्या के प्रकरण की विवेचना एवं आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	(1) 04 आरोपियों के विरुद्ध धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विवेचना की जा रही है । (2) प्रकरण की विवेचना में विधि अनुरूप प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची**

**राजस्व विभाग**

**दिनांक 22.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
557	ता.प्र.सं.03 (क्र.654) दि.22.07.2015 (श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया)	गुना जिले में कृषकों द्वारा राजस्व भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाया जाना ।	कार्यवाही कर अतिक्रमकों को भूमि से बेदखल किया जावेगा ।		
558	ता.प्र.सं.07 (क्र.937) दि.22.07.2015 (इन्जी.प्रदीप लारिया)	सागर जिले की तहसील सागर के ग्राम गढरिया ढोगा रोड, धर्मश्री उदयपुरा मार्ग आमेट रजोआ मार्ग के लिए कृषकों से, की गई अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिया जाना ।	भू-अर्जन अधिनियम के तहत प्रकरणों में अवाई पारित होने के उपरांत मुआवजा राशि का कृषकों को भुगतान किया जा सकेगा ।		
559	ता.प्र.सं.18 (क्र.1012) दि.22.07.2015 (डॉ.मोहन यादव)	उज्जैन जिले के राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट लंबित रखने वाले दोषी पटवारियों के विरुद्ध संस्थित जांच निर्धारित समय-सीमा की जाना एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना ।	दो पटवारियों को निलंबित कर विभागीय जांच प्रस्तावित की गई ।		
560	ता.प्र.सं.20 (क्र.1101) दि.22.07.2015 (श्री शैलेन्द्र पटेल)	म.प्र. में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किया जाना ।	सीधी भर्ती एवं पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलित है।		
561	ता.प्र.सं.25 (क्र.1206) दि.22.07.2015 (श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर)	खण्डवा जिले की तहसील पुनासा एवं आर.आई.सर्कल किल्लौद के अंतर्गत लंबित फौती नामांतरण के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाना ।	प्रकरणों पर कार्यवाही प्रचलित है ।		
562	परि.अता.प्र.सं.05 (क्र.53) दि.22.07.2015 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा)	रतलाम जिले के सीताराम बाग जावरा के भूमि बंटन के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा किये गये पत्र पर कार्यवाही की जाना ।	जनवरी 2015 में जिलाधीश को लिखे पत्र पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जावरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
563	परि.अता.प्र.सं.32 (क्र.575) दि.22.07.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अनियमित पट्टों की जांच एवं कार्यवाही।	तहसीलदार मानपुर द्वारा जांच की कार्यवाही प्रारंभ की गई।		
564	परि.अता.प्र.सं.37 (क्र.687) दि.22.07.2015 (श्रीमती ललिता यादव)	छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाना।	04 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। 25 प्रकरण प्रक्रियाधीन है।		
565	परि.अता.प्र.सं.60 (क्र.1017) दि.22.07.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	जिला रीवा के ग्राम तमरादेश की भूमि की जांच एवं दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	धारा 59(1) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।		
566	अता.प्र.सं.07 (क्र.69) दि.22.07.2015 (श्री योगेन्द्र सिंह "बाबा")	मुंगावली वि.स. क्षेत्र के सुल्तान ग्राम भटोली के सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण कराई जाना।	शीघ्र सीमांकन की तिथि नियत कर सीमांकन की कार्यवाही की जावेगी।		
567	अता.प्र.सं.56 (क्र.969) दि.22.07.2015 (डॉ.रामकिशोर दोगने)	प्रदेश के पटवारियों का वेतन/भत्ते एवं वेतनमान बढ़ाया जाना।	जी हां। प्रकरण विचाराधीन है।		
568	अता.प्र.सं.63 (क्र.1032) दि.22.07.2015 (श्री पन्नालाल शाक्य)	गुना जिले के ग्राम रिछेरा के किसानों को फसल का नुकसान नहीं होने के बावजूद अनुचित मुआवजा दिये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	विभागीय जांच प्रचलित है।		
569	अता.प्र.सं.94 (क्र.1211) दि.22.07.2015 (श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर)	खण्डवा जिले के तहसील पुनासा एवं सर्कल किलौद में आवेदकों की भूमि का शेष सीमांकन कार्य पूर्ण किया जाना।	शेष 71 आवेदन पत्रों का सीमांकन 15 दिवस के भीतर कर दिया जावेगा।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची**

**कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग**

**दिनांक 22.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>570</b>	परि.अता.प्र.सं.19 (क्र.240) दि.22.07.2015 (श्री मेंव राजकुमार)	खरगोन जिले में कुटीर एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना ।	स्वीकृति पश्चात् आगामी कार्यवाही की जावेगी ।		
<b>571</b>	अता.प्र.सं.31 (क्र.606) दि.22.07.2015 (श्री कुंवरजी कोठार)	म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा फरवरी-मार्च 2015 के अता.प्रश्न क्रमांक 2456 के उत्तर दिनांक 02.03.2015 के परिप्रेक्ष्य में दोषी प्रदायकर्ता संस्था के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना ।	प्रदायकर्ता संस्था के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को दिए गए ।		
<b>572</b>	अता.प्र.सं.32 (क्र.607) दि.22.07.2015 (श्री कुंवरजी कोठार)	उज्जैन जिले के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एम्पोरियम में की गई अनियमितता की जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	बोर्ड द्वारा पुलिस थाना माधवनगर उज्जैन को एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु लिखा है । बोर्ड के तत्कालीन उप संचालक(विपणन) के विरुद्ध आदेश दि.07.11.2014 से त्रिभागीय जांच संस्थित की गई है । अपेक्षित कार्यवाही का प्रस्ताव सक्षम विभाग को भेजा गया है ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची**

**महिला एवं बाल विकास विभाग**

**दिनांक 22.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
573	परि.अता.प्र.सं.35 (क्र.657) दि.22.07.2015 (श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया)	गुना एवं बमोरी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाना।	वर्तमान में रिक्त पद पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रचलन में है।		
574	अता.प्र.सं.29 (क्र.587) दि.22.07.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्यापुर जिले के आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण न कराये जाने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	04 पंचायतों द्वारा कार्य नहीं करने के कारण उन्हें पृथक से कारण बताओं सूचना पत्र, धारा 40 का नोटिस एवं धारा 92 का प्रकरण न्यायालय में दर्ज कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।		
575	अता.प्र.सं.99 (क्र.1263) दि.22.07.2015 (श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल)	इंदौर जिले में निर्माणाधीन आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना।	छतस्तर तक होकर निर्माणकार्य प्रगति पर है। निर्माणाधीन भवनों को शीघ्र ही पूर्ण कराया जाएगा।		



मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

दिनांक 22.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
576	परि.अता.प्र.सं.87 (क्र.1609) दि.22.07.2015 (श्री मोती कश्यप)	कटनी जिले में मछुआ आवास एवं किशतों का आवंटन किया जाना ।	प्रगति (मूल्यांकन) प्राप्त होते ही आवंटन किया जावेगा ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय  
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

दिनांक 22.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
577	अता.प्र.सं.98 (क्र.1229) दि.22.07.2015 (श्री अमर सिंह यादव)	राजगढ़ जिले में नोटरी एवं शपथ आयुक्त के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना ।	नियुक्ति की प्रक्रिया शासन के विचाराधीन है ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची**

**जेल विभाग**

**दिनांक 22.07.2015**

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>578</b>	परि.अता.प्र.सं.28 (क्र.472) दि.22.07.2015 (श्री राजेश सोनकर)	उज्जैन रोड पर अधूरे जेल भवन का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना ।	आलोच्य जेल के निर्माण हेतु पी.आई.यू. इंदौर से प्राप्त प्राक्कलन पर कार्यवाही प्रचलन में है । वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुरूप शीघ्र कार्यवाही की जा सकेगी।		
<b>579</b>	अता.प्र.सं.17 (क्र.287) दि.22.07.2015 (श्री यशपाल सिंह सिसोदिया)	उज्जैन-इंदौर संभाग में नये कारागृह बनाये जाने के संबंध में भारत सरकार से स्वीकृत हेतु कार्यवाही की जाना ।	भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत कार्यवाही संभव हो सकेगी ।		